

FORM No. III

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

यालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट खण्डेला

..... वनाम .....  
गोपाम वगैरे सुरेन्द्र वगैरे  
मुकदमा ..... मुकदमा नं. .... सन् 2019  
दावा 155

क्र. हुकम	हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तालीम में जारी हुए
3/19	<p>वकील वकील श्री ओएल वकील श्री अजगराम ने वाद पत्र पेश किया। रिपोर्ट सही ली गयी फाद पत्र सही किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन लम्बे किया जाकर मिलान दिनांक 3/10/19 को पेश हो।</p>	<p>3469-74 6-9-19</p>
23/19	<p>वकील वकील उपा. अरुण कुमार शर्मा ल प्रतिवादीगण पत्रावली दिनांक 08/11/2019 को पेश हो।</p>	<p>...</p>
3/19	<p>वकील वकील उपा. प्रतिवादीगण को लम्बे हेतु उपा. सम्मन लम्बाना पेश होने पर लम्बी जरिए सम्मन ही जाकर पत्रावली दिनांक 20/12/19 को पेश हो।</p>	<p>...</p>
11/19	<p>वकील वकील द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मिसल लम्बी स्वीकार किया जाने पर पत्रावली पूर्व नियत तारीख पेशी से लम्बे की जाकर आज पेश हुई। वकील वकील ने एड प्रार्थना</p>	<p>...</p>

ज पैरा कर निकेदन डिप डि विवादित  
अकारण के मध्य काहमी राजीनाम हो गय  
-) कपीकरण फॉक को ओर आगे कही चलाने  
गले है अतः प्रार्चना-पर स्वीकार कर दावा  
पेदा किये जाने की अनुमति प्रदान करे )

वहील कपीकरण इकारा प्रदान  
प्रार्चना-पर स्वीकार किय जाकर दावा विद्वा  
किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।  
प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं  
है। अतः कार्यवाही प्रकरण इती स्तर पर  
Dispp की जाती है। पत्रावली के अंत में शुभार  
होकर अम्बर से इस हो तब बाद तहसील  
फाजिल दफतर है। निर्गम पुले न्यायालय में  
सुनाया गया।

(रिणजोत सिंह)  
उपखण्ड अधिकारी  
सुपेला (सी कर)